79

सारण समाहरणालय, छपरा

(गोपनीय शाखा)

आदेश

विगत दिनों जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आया कि पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों के नाम से निर्गत चेक बिना उचित पहचान कराये अनधिकृत व्यक्तियों को उपलब्ध करा दिये गये हैं फलतः वास्तविक लाभार्थी को योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो सका है। वर्णित परिस्थिति मे चेकों का भुगतान वास्तविक लाभार्थी को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं:-

1- अधोहस्ताक्षरी द्वारा चेक हस्ताक्षर करने के उपरान्त जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा इसकी तीन प्रतियों मे एडवाइस तैयार की जायेगी। एडवाइस मे प्रखंड का नाम, चेक संख्या, दिनांक, लाभार्थी का नाम और उसका पूरा पता दर्ज किया जायेगा।

2- इस एडवाइस की दो प्रतियां चेक के साथ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास और एक प्रति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के पास विशेष दूत के माध्यम से भेज दी जायेगी।

3- संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे चेक प्राप्त होते ही तीन दिनों के अंदर उसे लाभार्थी को "उचित पहचान" पर उपलब्ध करा कर एडवाइस की एक प्रति जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को वापस कर देंगे।

4- उपर्युक्त कंडिका 3 मे "उचित पहचान" का तात्पर्य यह है कि बिना संबंधित पंचायत सचिव के प्रमाणित किये लाभार्थी को चेक कदापि नहीं दिया जाय। पंचायत सचिव का हस्ताक्षर लघु नहीं हो कर पूर्ण होना अनिवार्य है।

5- इस प्रकार विधिवत् प्राप्ति रसीद प्रखंड से प्राप्त होने पर उसे जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग मे रक्षी संचिका मे संधारित किया जाय।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

(हस्ताक्षर) 24-9-2008

जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा

ज्ञापांक 3459 / सी
छपरा, दिनांक 24 सितंबर, 2008

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 24-9-2008

जिला पदाधिकारी
सारण, छपरा

confidentials